Punjab National Bank Mithapur Amr

अनुसूची २१ - प्रपत्र संख्य ११३ ।

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र, सं० 3049, २० 18 । आवेदन सं० 31024/18 २०

चूँकि श्री Shailendra Kumar ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें) 3049 / 13.9.18

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में कहीं १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1.1.1989 २० से ता० 4.9. २० 18 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :- नहीं

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
Manzur	Rasul P.W.		Khatu	Khusna	Amr			
PS	Zilani Kazi Mahamed PWS		69	144				
PS	No 350		458	145	05 Kathu			
Prich	Misahi							
Dist	Amr							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ । बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

२ । पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक कमान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार को पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- 10

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- 10

कार्यालय

तारीख 13.9.18

मोहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
13.9 13.9.18

टिप्पणी :- (१) इस प्रमाण पत्र में जो व्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम के धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विधान प्रमाण पत्र दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूंढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उच्च सम्पत्ति पर प्रमाण पड़ता हो।